756
23/4/24

झारखण्ड सरकार,
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची।

कार्यालय आदेश

झारखण्ड राज्य पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 के आलोक में मो0 मुमताज अली अहमद, उप निदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा तैयार किए गए Course Group संबंधित प्रारूप की समीक्षा करते हुए विभागीय संकल्प के आलोक में नियमानुसार पाठयक्रम वर्गीकरण किए जाने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:–

1.	श्री मुमताज अली अहमद, उप निदेशक, कल्याण।	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव।	सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र दास, अवर सचिव।	सदस्य
4.	श्रीमती संगीता शरण, उप निदेशक।	सदस्य सचिव
5.	श्री अनुराग रंजन, कॉ–ओडिनेटर, पी0एम0यू0।	सदस्य
6.	श्री अमित कुमार, सी0जी0जी0 के प्रतिनिधि	सदस्य

2. उपरोक्त समिति विभागीय संकल्प संख्या–2587, दिनांक–29.08.2022 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या–2588, दिनांक–29.08.2022 अधिसूचना संख्या–2589, दिनांक–29.08.2022 एवं अधिसूचना संख्या–2590, दिनांक–29.08.2022 की कंडिका–3.1 में वर्णित पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण का अध्ययन करते हुए दो दिनों के अन्दर पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण संबंधी प्रारूप तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि तैयार पाठ्यक्रम वर्गीकरण को ई–कल्याण पोर्टल पर अपलोड कराया जा सके।

3. पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश–1608, दिनांक–18.09.2023 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

Sd/- 23/4

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक : 756   राँची, दिनांक 23-4-2024

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 23/4

आदिवासी कल्याण आयुक्त।